

न्यायालय उप तहसीलदार तहसील शिवाजा जिला झुन्झुनु

मु०न०	किरम मु०	रजु दिनांक	निर्णय दिनांक
24/19	धारा 91	26.6.19	12.7.19

उनवान सरकार वनाग भतेरी पत्ति हनुमान जाति गुर्जर नि० हुमोली सुर्द तहसील बुहाजा जिला झुन्झुनु

निर्णय

पत्रावली आज पेश हुयी। अतिकमी उपस्थित। मामला संक्षिप्त में इस प्रकार है कि पटवारी ने सन्वत् 2075 में इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि ग्राम हुमोली सुर्द की राजकीय भूमि गे०मु० सरस्ता ख०न० 1126 रकबा 0.79 किरम गे०मु० सरस्ता में से 0.02 हे० भूमि पर अतिकमी वनाग वनाग भतेरी पत्ति हनुमान जाति गुर्जर नि० हुमोली सुर्द तहसील बुहाजा ने अवैध रूप से ख़ाई व डोला कर अवैध रूप से अनाधिकृत अतिक्रमण किया गया है।

रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्राप्त होने पर मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिकमी को राजस्थान भू० राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया जाकर तलब किया गया। नोटिस प्राप्ति पर अतिकमी उपस्थित हुआ। प्रा०पत्र पेश किया गया जो पत्रावली शामिल किया गया।

पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य/समुत्त का गहनता से मन्वन् किया गया। अतिकमी द्वारा किया गया अतिकमी जो काविज नियमन नहीं है। ना ही नियमों के अनुरूप है। अतः उपर अतिकमी को राजस्थान भू० राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिकमी घोषित किया जाता है। व गैर बहस रिपोर्ट पटवारी पर से वेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

अतिकमी द्वारा अनाधिकृत रूप से किये गये दुकान के दण्ड स्वरूप अतिक्रमण शुदा भूमि के लगान 1 की 50 गुणा जुर्माना राशि 50 /- रु वतौर शारित कायम किये जाते हैं।

तहसील राजस्व लेखाकार/भू०अ०नि०/पटवारी हल्का को वास्ते जमा कायमी/वेदखली/ वसुली/ कर राशि राज कोष में जमा करवाने हेतु लिखा जावे। भू० अ०नि० को राजकीय भूमि से अतिकमीत भूमि से वास्तविक रूप से वेदखल करने हेतु लिखा जावे। पत्रावली वाद तकगील तागिल दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम होकर दर्ज फेराला हो।

आज दिनांक 12.07.19 को सुले न्यायालय सुनाया गया।



नायब तहसीलदार

२२
५०

३. २२. २०१९